



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-1, खण्ड (क)  
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 28 अप्रैल, 2011 ई0  
बैशाख 08, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 178/XXXVI(3)/2011/24(1)/2011

देहरादून, 28 अप्रैल, 2011

अधिसूचना

विविध

“ भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011” पर दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 13 वर्ष, 2011 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13 वर्ष 2011}

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 वर्ष 1958)  
(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन के लिए : -

